राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2018

क्र. एफ. 11-02-2017-सात-शा.-6.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-7-2018 एम एण्ड जी, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में,राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला सतना की तहसील अमरपाटन के ग्राम का नाम, सूची के कॉलम (3) में वर्णित अनुसार तत्काल प्रभाव से परिवर्तित करता है अर्थात्:—

अनुक्रमांक	ग्राम का वर्तमान नाम	ग्राम का नया नाम
(1)	(2)	(3)
1.	नकटी	नयनपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2018

क्र. एफ. 11-02-2017-सात-शा.-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 11-02-2017-सात-शा.-6, दिनांक 12 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

Bhopal, the 12th December 2018

No. F 11-02-2017-VII-Sec.-6.—In pursuance of No Objection conveyed by the Government of India, Ministry of Home Affairs *vide* letter No. 11/7/2018 M & G dated the 10th September 2018 the State Government, hereby change the name of village of District Satna of Tahsil Amarpatan as mentioned in column (3) with immediate effect, namely:—

S. No.	Present Name of the Village	New Name of the Village
(1)	(2)	(3)
1.	Nakti	Nayanpur